8-1/के.सं.वि./समर्थ प्रवेश/2025/ 655

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली

जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

<u>शिक्षाचार्य प्रथम वर्ष 2025-26 प्रवेश हेतु अधिसूचना</u>

दिनांक-02.07.2025

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जयपुर परिसर, भोपाल परिसर व सदाशिव परिसर में शिक्षाचार्य प्रवेश हेतु परिसर आवण्टन के उपरान्त प्रवेशार्थियों में से वरीयता क्रम एवं आरक्षण नियमों के अनुसार परिसर में भौतिक रूप से प्रमाण सत्यापन/प्रवेश प्रक्रिया के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है। यह सूचना प्रवेश का अधिकार प्रदान नहीं करती। प्रमाण पत्र सत्यापन/प्रवेश प्रक्रिया के बाद चयनित प्रवेशार्थी को शुल्क समर्थ पोर्टल के माध्यम से online जमा कराना होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित तिथि में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होने, निर्धारित शुल्क जमा न कराने अथवा आवश्यक दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत नहीं करने पर प्रवेश दिया जाना सम्भव नहीं होगा और प्रवेश की पात्रता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

आवश्यक प्रमाणपत्र-

1. शिक्षाचार्य (M.Ed.) कक्षा का ऑनलाईन आवेदनपत्र। (Samarth Portal से छात्र स्वयं download करके परिसरीय समिति को प्रदान करें।)
2. Part B form ऑनलाईन आवेदनपत्र के साथ परिसर में देना होगा (यह फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है)।
3. जन्मतिथि के प्रमाण के लिये मैट्रिक / सेकेण्डरी / समकक्ष परीक्षा का प्रमाणपत्र तथा अंकतालिका।
4. प्राक्शास्त्री / उत्तरमध्यमा / उच्च माध्यमिक/ वरिष्ठ माध्यमिक / समकक्ष परीक्षा का प्रमाणपत्र तथा अंकतालिका।
5. शास्त्री / बी.ए. (संस्कृत) / समकक्ष परीक्षा का प्रमाणपत्र तथा अंकतालिका।
6. आचार्य / एम.ए. (संस्कृत) / समकक्ष परीक्षा का प्रमाणपत्र तथा अंकतालिका। (यदि हो)
7. शिक्षाशास्त्री (B.Ed. संस्कृत शिक्षण विषय सहित) परीक्षा का प्रमाणपत्र तथा अंकतालिका।
8. शिक्षाशास्त्री (B.Ed. संस्कृत शिक्षण विषय सहित) का परिणाम प्रतीक्षित होने पर शपथ पत्र। (यदि हो)
9. यदि आप अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) / आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग से सम्बन्धित हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा जारी प्रारूप में निर्मित अद्यतन प्रमाणपत्र।
10. दिव्यांग होने की स्थिति में चिकित्सक द्वारा प्रदत्त कम से कम 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का स्पष्ट उल्लेख के साथ प्रमाणपत्र।
11. यदि आप क्रीडा एवं युद्ध आहत से सम्बन्धित हैं तो सम्बद्ध प्रमाणपत्र।
12. प्रव्रजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate)
13. स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (Transfer Certificate) एवं चरित्र प्रमाणपत्र (Character Certificate)
14. APAAR/Academic Bank Credit (ABC) का पंजीकरण प्रपत्र। https://apaar.education.gov.in/get-your-apaar
15. EWS प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष (2024-25) का होना आवश्यक है।
16. OBC - Non Creamy Layer के लिए Income Certificate गत वित्तीय वर्ष का होना आवश्यक है।
17. Medical Fitness Certificate.

आवश्यक सूचनाएँ-

- सम्बन्धित परिसरों द्वारा निर्मित स्थानीय प्रवेश समिति के समक्ष पात्रता सिद्ध होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।
- प्रवेश निर्धारित तिथियों में ही दिया जाएगा।
- आपके द्वारा आनॅलाइन आवेदनपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही आपको प्रमाण पत्र सत्यापन / प्रवेश प्रक्रिया के लिए सूचना दी गई है। प्रवेशार्थी द्वारा दी गई जानकारी वास्तविक जाँच में यदि असत्य पायी गयी तो उसे प्रवेश योग्य नहीं माना जाएगा। इसके लिए प्रवेशार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। प्रवेश के संबंध में स्थानीय प्रवेश समिति का निर्णय मान्य होगा।
- जो परिसर भौतिक सत्यापन / प्रवेश के लिये आवंटित किया गया है, उसी परिसर में आपको प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश के पश्चात् स्थानान्तरण नहीं होगा।
- प्रवेश समाप्त होने के पश्चात् विश्वविद्यालय के परिसरों में स्थान रिक्त होने पर उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों की सूची में से शेष प्रवेशार्थियों को नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा। उक्त सन्दर्भ में सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sanskrit.nic.in पर देखी जा सकेगी।
- विश्वविद्यालय की वेबसाइट के अतिरिक्त प्रवेश सम्बन्धी सूचना पोस्ट/ईमेल या अन्य माध्यम से नहीं भेजी जाएगी।

प्रवेशार्थियों को भौतिक उपस्थिति या ऑनलाईन के माध्यम से आवण्टित परिसर में ही प्रमाण पत्र सत्यापन की सुविधा दी गई है। आवण्टित परिसर में केवल भौतिक रूप से उपस्थित प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों के सफल सत्यापन के पश्चात् स्थानीय प्रवेश समिति की अनुशंसा पर ही स्थायी प्रवेश दिया जायेगा।

- जिन प्रवेशार्थियों को अस्थायी प्रवेश प्रदान किया जायेगा ऐसे प्रवेशार्थियों को शपथ पत्र देना होगा कि "मैं............ भौतिक रूप से आवण्टित परिसर में मूल प्रमाणपत्रों के साथ उपस्थित होकर पुनः दस्तावेजों का सत्यापन कराउंगा / कराऊंगी तथा किन्हीं कारणों से असफल होने पर मेरा प्रवेश बिना किसी शर्त के निरस्त किया जा सकता है तथा मुझे यह भी ज्ञात है कि भौतिक सत्यापन में असफल होने पर मेरे द्वारा समर्पित शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।"
- छात्रों को www.abc.gov.in या https://apaar.education.gov.in लिंक पर जाकर पञ्जीकरण करना आवश्यक है। जिन छात्रों का पूर्व में पंजीकरण है उन्हें भी APAAR का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। पञ्जीकरण के उपरान्त पञ्जीकरण की प्रतिलिपि प्रवेश समिति को प्रस्तुत करनी होगी।
- प्रवेश हेतु आवण्टित परिसर में केवल भौतिक रूप से उपस्थित प्रवेशार्थियों को दस्तावेजों के सफल सत्यापन के पश्चात् प्रवेश शुल्क https://sanskritcuet.samarth.edu.in pg पर ऑनलाईन माध्यम से सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश शुल्क इस प्रकार देय होगा।

शिक्षा आचार्य प्रथम वर्ष	शिक्षा आचार्य द्वितीय वर्ष
प्रथम सत्रार्द्ध - 9200/- (GEN/EWS/OBC) 8450/- (SC/ST/CW)	तृतीय सत्रार्द्ध-9200/-(GEN/EWS/OBC) 8450/- (SC/ST/CW)
द्वितीय सत्रार्द्ध - 2100/- (GEN/EWS/OBC) 1350/- (SC/ST/CW)	चतुर्थ सत्रार्द्ध - 2100/- (GEN/EWS/OBC) 1350/- (SC/ST/CW)

नोटः- दिव्यांग (PWD) छात्रों के लिए शिक्षण शुल्क सहित सभी प्रकार के शुल्क से पूर्णतया छूट रहेगी।

- प्रमाण पत्र सत्यापन प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 07.07.2025 प्रातः 10:00 बजे से 11.07.2025 सायं 05:30 बजे तक सम्पादित होगी।
- प्रवेशार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित हो जाने के बाद दिनांक 14.07.2025 को परिसर में अध्ययनार्थ उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश से सम्बन्धित अन्य जानकारी के लिए आवण्टित परिसरों के SPOC सम्पर्क सूत्र निम्न प्रकार से हैं-

क्र.सं.	परिसर का नाम	सम्पर्क हेतु सम्बन्धित परिसरीय प्राध्यापक का नाम एवं दूरभाष
1.	केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर, राजस्थान - 302018	डॉ. डम्बरूधर पति 7617334906
2.	केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, भोपाल परिसर, संस्कृत मार्ग, बागसेवनिया, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462043	प्रो. सोमनाथ साहु 9008211174
3.	केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री सदाशिव परिसर, पुरी, ओडिशा - 752001	प्रो. विजयपाल कछवाहा 9438285906, 9419260594

(प्रो. मदन मोहन झा)
अधिष्ठाता (शैक्षिकवृत्त)

प्रतिलिपि-

1- कुलपति कार्यालय, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
2- कुलसचिव कार्यालय, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
3- परीक्षा नियन्त्रक, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
4- निदेशक, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर, भोपाल एवं पुरी परिसर
5- परियोजना अधिकारी (वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ)
6- अधिष्ठाता, शिक्षाशास्त्र विद्यास्थान
7- अध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग
8- सम्बद्ध संचिका।